



भारत का राजपत्र The Gazette of India

सी.जी.-डी.एल.-अ.-24032023-244640
CG-DL-E-24032023-244640

असाधारण
EXTRAORDINARY

भाग III—खण्ड 4
PART III—Section 4

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 177]
No. 177]

नई दिल्ली, बृहस्पतिवार, मार्च 23, 2023/चैत्र 2, 1945
NEW DELHI, THURSDAY, MARCH 23, 2023/CHAITRA 2, 1945

पेंशन निधि विनियामक और विकास प्राधिकरण
अधिसूचना

नई दिल्ली, 23 मार्च, 2023

पेंशन निधि विनियामक और विकास प्राधिकरण (राष्ट्रीय पेंशन प्रणाली के अंतर्गत निकास और प्रत्याहरण) (संशोधन)
विनियम, 2023

सं.पीएफआरडीए/12/आरजीएल/139/8. – पेंशन निधि विनियामक और विकास प्राधिकरण अधिनियम, 2013 (2013 का 23) की धारा 52 की उपधारा (2) के खंड (छ), (ज) तथा (झ) के साथ पठित उसकी उपधारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, पेंशन निधि विनियामक और विकास प्राधिकरण एतद् द्वारा पेंशन निधि विनियामक और विकास प्राधिकरण (राष्ट्रीय पेंशन प्रणाली के अंतर्गत निकास और प्रत्याहरण) विनियम, 2015 में संशोधन करते हुए निम्न विनियम बनाता है, नामतः:-

- इन विनियमों का नाम पेंशन निधि विनियामक और विकास प्राधिकरण (राष्ट्रीय पेंशन प्रणाली के अंतर्गत निकास और प्रत्याहरण) (संशोधन) विनियम, 2023 है।
- यह विनियम शासकीय राजपत्र में उनके प्रकाशन की तिथि से प्रवृत्त होंगे।
- पेंशन निधि विनियामक और विकास प्राधिकरण (राष्ट्रीय पेंशन प्रणाली के अंतर्गत निकास और प्रत्याहरण) विनियम, 2015 में :-

विनियम 4 के उप-विनियम (घ) के खंड (i) में, निम्नलिखित नए प्रावधान को जोड़ा जाएगा :-

“परन्तु यह कि ऐसा प्रावधान किसी कॉर्पोरेट निकाय या अन्य इकाई जो कि या तो केंद्र सरकार या किसी राज्य सरकार के स्वामित्व तथा नियंत्रण में हो या एक सरकारी कंपनी, के अभिदाताओं पर लागू नहीं होगा तथा उनकी निकासी विनियम 4 के अन्य उप-विनियमों, जो भी लागू हों, के अधीन होगी;”

डॉ. दीपक महान्ती, अध्यक्ष

[विज्ञापन-III/4/असा./703/2022-23]

पादलेख :

1. मूल विनियम, पेंशन निधि विनियामक और विकास प्राधिकरण (राष्ट्रीय पेंशन प्रणाली के अंतर्गत निकास और प्रत्याहरण) विनियम, 2015, भारत के राजपत्र में 11 मई, 2015 को अधिसूचना सं. पीएफआरडीए/12/ आरजीएल/139/8 के माध्यम से प्रकाशित किये गए थे।
2. पेंशन निधि विनियामक और विकास प्राधिकरण (राष्ट्रीय पेंशन प्रणाली के अंतर्गत निकास और प्रत्याहरण) (प्रथम संशोधन) विनियम, 2017, भारत के राजपत्र में 10 अगस्त, 2017 को अधिसूचना सं. पीएफआरडीए/12/ आरजीएल/139/8 के माध्यम से प्रकाशित किये गए थे।
3. पेंशन निधि विनियामक और विकास प्राधिकरण (राष्ट्रीय पेंशन प्रणाली के अंतर्गत निकास और प्रत्याहरण) (दूसरा संशोधन) विनियम, 2017, भारत के राजपत्र में 6 अक्टूबर, 2017 को, अधिसूचना सं. पीएफआरडीए/12/ आरजीएल/139/8 के माध्यम से प्रकाशित किये गए थे।
4. पेंशन निधि विनियामक और विकास प्राधिकरण (राष्ट्रीय पेंशन प्रणाली के अंतर्गत निकास और प्रत्याहरण) (तृतीय संशोधन) विनियम, 2018, भारत के राजपत्र में 02 फरवरी, 2018 को, अधिसूचना सं. पीएफआरडीए/12/आरजीएल/139/8 के माध्यम से प्रकाशित किये गए थे।
5. पेंशन निधि विनियामक और विकास प्राधिकरण (राष्ट्रीय पेंशन प्रणाली के अंतर्गत निकास और प्रत्याहरण) (चतुर्थ संशोधन) विनियम, 2018, भारत के राजपत्र में 18 मई, 2018 को, अधिसूचना सं. पीएफआरडीए/12/ आरजीएल/139/8 के माध्यम से प्रकाशित किये गए थे।
6. पेंशन निधि विनियामक और विकास प्राधिकरण (राष्ट्रीय पेंशन प्रणाली के अंतर्गत निकास और प्रत्याहरण) (पांचवा संशोधन) विनियम, 2019, भारत के राजपत्र में 19 फरवरी, 2019 को, अधिसूचना सं. पीएफआरडीए/12/ आरजीएल/139/8 के माध्यम से प्रकाशित किये गए थे।
7. पेंशन निधि विनियामक और विकास प्राधिकरण (राष्ट्रीय पेंशन प्रणाली के अंतर्गत निकास और प्रत्याहरण) (छठा संशोधन) विनियम, 2019, भारत के राजपत्र में 20 सितम्बर, 2019 को, अधिसूचना सं. पीएफआरडीए/12/ आरजीएल/139/8 के माध्यम से प्रकाशित किये गए थे।
8. पेंशन निधि विनियामक और विकास प्राधिकरण (राष्ट्रीय पेंशन प्रणाली के अंतर्गत निकास और प्रत्याहरण) (संशोधन) विनियम, 2020, भारत के राजपत्र में 29 सितम्बर, 2020 को, अधिसूचना सं. पीएफआरडीए/12/ आरजीएल/139/8 के माध्यम से प्रकाशित किये गए थे।
9. पेंशन निधि विनियामक और विकास प्राधिकरण (राष्ट्रीय पेंशन प्रणाली के अंतर्गत निकास और प्रत्याहरण) (संशोधन) विनियम, 2021, भारत के राजपत्र में 14 जून, 2021 को अधिसूचना सं. पीएफआरडीए/12/ आरजीएल/139/8 के माध्यम से प्रकाशित किये गए थे।
10. पेंशन निधि विनियामक और विकास प्राधिकरण (राष्ट्रीय पेंशन प्रणाली के अंतर्गत निकास और प्रत्याहरण) (दूसरा संशोधन) विनियम, 2021, भारत के राजपत्र में 28 दिसंबर, 2021 को अधिसूचना सं. पीएफआरडीए/12/ आरजीएल/139/8 के माध्यम से प्रकाशित किये गए थे।

PENSION FUND REGULATORY AND DEVELOPMENT AUTHORITY**NOTIFICATION**

New Delhi, the 23rd March, 2023

PENSION FUND REGULATORY AND DEVELOPMENT AUTHORITY (EXITS AND WITHDRAWALS UNDER THE NATIONAL PENSION SYSTEM) (AMENDMENT) REGULATIONS, 2023

No. PFRDA/12/RGL/139/8.—In exercise of the powers conferred by sub-section (1) of Section 52 read with sub-clause(g), (h), and (i) of sub-section 2 of Section 52 of the Pension Fund Regulatory and Development Authority Act, 2013 (Act No.23 of 2013), the Pension Fund Regulatory and Development Authority hereby makes the following regulations to amend the Pension Fund Regulatory and Development Authority (Exits and Withdrawals under the National Pension System) Regulations, 2015 namely, -

1. These regulations may be called the Pension Fund Regulatory and Development Authority (Exits and Withdrawals under the National Pension System) (Amendment) Regulations, 2023.
2. These shall come into force on the date of their publication in the official gazette.
3. In the Pension Fund Regulatory and Development Authority (Exits and Withdrawals under the National Pension System) Regulations, 2015: -

In clause (i) of sub-regulation (d) of Regulation 4, following new proviso shall be added:

“Provided that such clause shall not be applicable to the subscribers of a body corporate or other entity under the ownership and control, either of the Central Government or any State Government or a Government Company and their exit shall be governed by other sub-regulations of Regulation 4, as may be applicable;”

Dr. DEEPAK MOHANTY, Chairperson

[ADVT.-III/4/Exty./703/2022-23]

Footnote:

1. The Principal Regulations, The Pension Fund Regulatory and Development Authority (Exits and Withdrawals under the National Pension System) Regulations, 2015 were published in the Gazette of India on 11th May, 2015 *vide* notification No. PFRDA/12/RGL/139/8.
2. The Pension Fund Regulatory and Development Authority (Exits and Withdrawals under the National Pension System) (First Amendment) Regulations, 2017 were published in the Gazette of India on 10th August, 2017 *vide* notification No. PFRDA/12/RGL/139/8
3. The Pension Fund Regulatory and Development Authority (Exits and Withdrawals under the National Pension System) (Second Amendment) Regulations, 2017 were published in the Gazette of India on 06th October, 2017 *vide* notification No. PFRDA/12/RGL/139/8
4. The Pension Fund Regulatory and Development Authority (Exits and Withdrawals under the National Pension System) (Third Amendment) Regulations, 2018 were published in the Gazette of India on 02nd February, 2018 *vide* notification No. PFRDA/12/RGL/139/8.
5. The Pension Fund Regulatory and Development Authority (Exits and Withdrawals under the National Pension System) (Fourth Amendment) Regulations, 2018 were published in the Gazette of India on 18th May, 2018 *vide* notification No. PFRDA/12/RGL/139/8.
6. The Pension Fund Regulatory and Development Authority (Exits and Withdrawals under the National Pension System) (Fifth Amendment) Regulations, 2019 were published in the Gazette of India on 19th February, 2019 *vide* notification No. PFRDA/12/RGL/139/8.

7. The Pension Fund Regulatory and Development Authority (Exits and Withdrawals under the National Pension System) (Sixth Amendment) Regulations, 2019 were published in the Gazette of India on 20th September, 2019 *vide* notification No. PFRDA/12/RGL/139/8.
8. The Pension Fund Regulatory and Development Authority (Exits and Withdrawals under the National Pension System) (Amendment) Regulations, 2020 were published in the Gazette of India on 29th September, 2020 *vide* notification No. PFRDA/12/RGL/139/8.
9. The Pension Fund Regulatory and Development Authority (Exits and Withdrawals under the National Pension System) (Amendment) Regulations, 2021 were published in the Gazette of India on 14th June, 2021 *vide* notification No. PFRDA/12/RGL/139/8.
10. The Pension Fund Regulatory and Development Authority (Exits and Withdrawals under the National Pension System) (Second Amendment) Regulations, 2021 were published in the Gazette of India on 28th December, 2021 *vide* notification No. PFRDA/12/RGL/139/8.